| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम हुक्म में जा[illegible] |
| --- | --- | --- |
| | जाकर दि० 29/5/25 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>बांदीकुई | |
| 29/5/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई व तामील अप्रार्थीगण करने हेतु [illegible] में [illegible] अवसर दिया जाकर दि० 6/6/25 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>बांदीकुई | |
| 6/6/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित तामील अप्रार्थी सं-2 हेतु नोटिस जारी कर दि० 19/6/25 को पेश हो।<br>[illegible] अधिकारी | |
| 19/6/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी सं-2 की ओर से एड० श्री जगदेव कसाना ने व० प० दी। वास्ते पेश करने पावर व रिपोर्ट तहसीलदार दि० 12/7/25 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>बांदीकुई | व० प० सं 2 [illegible] |
| 12/7/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित अप्रार्थी सं० 2 की ओर से एड० श्री जगदेव कसाना ने वकालतनामा पेश किया। अवलोकन पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं० 1 के तामील नोटिस रजिस्ट्री [illegible] चस्पा होकर पत्रावली में पेश है। अप्रार्थी सं० [illegible] | |

1.33 4-2000-10 लाख फा.

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP
CrII

अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

........................................ बनाम ........................................

मुकदमा ........................................ नं० ........................................ सन् ..............

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | बावजूद तलबी जरिये रजिस्ट्री ए.डी. नोटिस उप० नहीं। तलबी को एक माह से अधिक समय हो चुका है। अप्रार्थी सं.-1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी 2 के वकील ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर बहस करनी चाही। प्रार्थी पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्० धारा-128 L.R. Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। <br> [signature] <br> 1/7/24 | |

# न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः– 21/2023
प्रकरण दायर दिनांकः– 25.05.2023
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 12.07.2024

**उनवान**

1. उर्मिला देवी पुत्री रामहँस जाति गुर्जर निवासी नॉगवास तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बॉदीकुई तहसील बॉदीकुई जिला दौसा।
2. संजो देवी पत्नि रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी नॉगवास तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा

## प्रार्थना पत्र स्थायी सीमा चिन्ह वास्ते पत्थरगढी करवाये जाने बाबत

प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र स्थायी सीमा चिन्ह वास्ते पत्थरगढी करवाये जाने बाबत पेश किया कि वाके ग्राम नॉगवास तह. बसवा हाल तहसील बॉदीकुई जिला दौसा के खाता सं. नई 04 पुरानी 04 के खसरा नं. 340 रकबा 0.26 हैक्टे. कुल किता 01 कुल रकबा 0.26 हैक्ट. स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया का बतौर खातेदार काश्तकार अंकन दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि से अप्रार्थी सं. 02 का कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है ना ही वर्तमान में है। उक्त वर्णित भूमि के चारों ओर स्थायी सीमा चिन्ह अस्पष्ट होने से अक्सर पडोसी खातेदारों अप्रार्थी सं. 02 व अन्य से विवाद होता रहता है। इसके शॉती पूर्ण समाधान हेतु प्रार्थिया ने अपनी आराजी काश्त का दिनांकः 05.06.2015 को विधिवत सीमाज्ञान कर मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गयी जिससे प्रार्थिया पूर्ण रूपेण संतुष्ट रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के स्थायी सीमा चिन्ह के लिए मौके पर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांकः 05.06.2015 के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने के लिए अप्रार्थी सं. 01 को आदेशित फरमाने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। अप्रार्थी सं. 02 की ओर से एडवोकेट श्री जगदेव कसाना ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 01 बावजूद जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी सं. 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी सं. 02 के वकील ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर बहस करनी चाही। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गई। हमने बहस उभयपक्ष वकील पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो एव संलग्न दस्तावेजातों राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम नांगवास खाता सं. नया 04 पुराना 04, मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम नांगवास दिनांकः 05.06.2015 का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम नांगवास खाता सं. नया 04 पुराना 04 की प्रार्थिया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम नांगवास दिनांकः 05.06.2015 के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का

xuye

Scanned with OKEN Scanner

कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थिया को एल.आर.एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थिया प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी, मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम नांगवास दिनांकः 05.06.2015 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थिया प्रार्थना पत्र स्थायी सीमा चिन्ह वास्ते पत्थरगढी करवाये जाने बाबत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिया प्रार्थना पत्र स्थायी सीमा चिन्ह वास्ते पत्थरगढी करवाये जाने बाबत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बांदीकुई प्रार्थिया की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी भूमि खाता सं. नई 04 पुरानी 04 के खसरा नं. 340 रकबा 0.26 हैक्टे. कुल किता 01 कुल रकबा 0.26 हैक्ट. वाके ग्राम नॉगवास तह. बसवा हाल तहसील बॉदीकुई जिला दौसा की मुताबिक मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम नांगवास दिनांकः 05.06.2015 के विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बॉदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बॉदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner